# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
## पीठासीन अधिकारी – जगदीश आर्य

प्रार्थना पत्र संख्या 45/2021 तारीख रजू 05.04.2021

1. सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) मलारना डूंगर

.....प्रार्थी

**बनाम**

1. रेशमदेवी पत्नी स्व0 किशन राव निवासी बिलोली नदी तहसील मलारना डूंगर

.....अप्रार्थी

निर्णय दिनांकः **25.06.2024**

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 (4) तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 06.06.2002 के विरूद्व प्रस्तुत किया गया जिसके द्वारा रेशमदेवी पत्नी स्व0 किशन राव निवासी बिलोली नदी तहसील मलारना डूंगर को कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आराजी साबिक खसरा नम्बर 180 मिन रकबा 5 बीघा हाल ख0नं0 328 रकबा 0.01 है0 वाके ग्राम बिलोली नदी में आदेश दिनांक 06/06/2002 द्वारा आवंटन किया गया था। अप्रार्थी को आवंटितशुदा खसरा नम्बर 180 मिन रकबा 5 बीघा हाल ख0नं0 328 रकबा 0.01 पर भू.अ. निरीक्षक वृत चकबिलोली व पटवारी हल्का चकबिलोली की रिपोर्ट के अनुसार आवंटी का मौके पर उक्त चाह से सिंचाई नहीं होने, चाह खण्डहर होने तथा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने के कारण आवंटन को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता श्री गिर्राज सिंह गुर्जर एडवोकेट उपस्थित हुए। अदालत मातहत से मूल पत्रावली प्राप्त। प्रार्थना पत्र पर बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अप्रार्थी को आवंटितशुदा भूमि वाके ग्राम बिलोली नदी भू.अ.निरीक्षक वृत चकबिलोली व पटवारी हल्का चकबिलोली की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर उक्त चाह सिंचाई के काम नहीं आने तथा खण्डहर होने तथा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने के कारण मौके पर आवंटन शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। अतः पैरोकार सरकार द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 06.06.2002 के अनुसार ख0नं0 328 रकबा 0.01 में किया गया आवंटन निरस्त फरमाने का निवेदन किया गया।

वकील अप्रार्थी द्वारा बहस में तर्क दिया कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 06.06.2002 को अप्रार्थी को भूमि आवंटित की गई है। अप्रार्थी द्वारा बहस के अन्त में उक्त आवंटनशुदा जमीन अप्रार्थीगण को दिलवाये जाने का निवेदन किया गया।

प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज व तहसीलदार मलारना डूँगर से प्राप्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के

अति॰ जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

अनुसार एवं वकील उभय पक्ष द्वारा दी गयी दलिलो से मै इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अप्रार्थी को आराजी खसरा नम्बर 180 मिन रकबा 5 बीघा हाल ख0नं0 328 रकबा 0.01 वाके ग्राम बिलोली नदी आवंटित किया गया था। भू.अ.निरीक्षक वृत चकबिलोली व पटवारी हल्का चकबिलोली की रिपोर्ट के अनुसार आवंटी का मौके पर उक्त चाह से सिंचाई नहीं हो रही है, चाह खण्डहर हो रहा है तथा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है। वकील अप्रार्थी द्वारा पर्याप्त मौका दिये जाने के बावजूद प्रकरण में उनके पक्ष में साक्ष्य–सबूत उपलब्ध नहीं कराये गये है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं होना पाया जाता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी को आराजी खसरा नम्बर 180 मिन रकबा 5 बीघा आवंटित किया गया था किन्तु तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा अप्रार्थी को आवंटित उक्त खसरा नम्बरान में से केवल रकबा 0.01 वाके ग्राम बिलोली नदी किस्म गै0मु0 चाह का आवंटन खारिज करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जबकि तहसीलदार मलारना डूंगर को अप्रार्थी को आवंटित सम्पूर्ण भूमि का आवंटन खारिज करने हेतु 14(4) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिए था।

अतः तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार योग्य पाया जाता है एवं आवंटन आदेश दिनाक 06.06.2002 **(खसरा नं0 180 मिन रकबा 5 बीघा हाल ख0नं0 328 रकबा 0.01 गैर मु0चाह की हद तक)** निरस्त किया जाकर राजस्व ग्राम बिलोली नदी के ख0नं0 180 मिन रकबा 5 बीघा हाल ख0नं0 328 रकबा 0.01 गै0मु0 चाह को राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज करने के तहसीलदार मलारना डूंगर को आदेश दिये जाते है तथा तहसीलदार मलारना डूंगर को निर्देशित किया जाता है कि यदि अप्रार्थी द्वारा उनको आवंटित भूमि पर आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की जा रही है तो आवंटन सलाहकार समिति के आदेश दिनांक 06.06.2002 के द्वारा अप्रार्थी को आवंटित सम्पूर्ण भूमि का आवंटन खारिज कराने हेतु धारा 14(4) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र तत्काल प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 25.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश आर्य)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर